कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।
ईमेल–cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांकः न–20/अमुत्व (263)/2023 दिनांकः अक्टूबर 25, 2023

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
S. N. MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
BHAUWALA
जनपद–देहरादून।

सन्दर्भः– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं0–93719814 दिनांक 10.10.2023 के द्वारा S. N. MEMORIAL PUBLIC SCHOOL, BHAUWALA, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई द्वारा किया गया। प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई की निरीक्षण आख्या दिनांक 23.10.2023 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशामें रखेगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा पत्र/**Self Audit Report** इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः S. N. MEMORIAL PUBLIC SCHOOL, BHAUWALA, जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 25 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2026 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक होगाः–

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियॉ सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन/प्रधानाचार्य की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नही हो सकती। अतः प्रबन्धन/प्रधानाचार्य को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेविलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस–पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नही किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुघर्टना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जाएगी।
7. शैक्षणिक भवन में संचालित लैब (कैमेस्ट्री, कम्पयूटर आदि) में सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

(वी0 बी0 यादव) 25/10/23
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

Principal
S.N. Memorial Public School
Bhauwala, Dehra Dun.
Affiliated to C.B.S.E., Delhi
(Affiliation No. 3530383)

S N MEMORIAL PUBLIC SCHOOL • CHAIR PERSON • DEHRADUN •

Scanned with CamScanner